

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-16/2017/वे0आ0-2-810/दस-01(एम)/2016
लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

सुश्री वृन्दा सरूप, सेवा-निवृत्त आई0ए0एस0 को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2017/वे0आ0-2-761/दस-01(एम)/2016, दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा वेतन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए इस रूप में कार्यरत रहने की अवधि में देय सुविधाओं का निर्धारण किया गया है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-5 में उल्लिखित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"सुश्री वृन्दा सरूप को वेतन समिति के कार्यों हेतु की गयी दिल्ली यात्रा के दौरान निःशुल्क वाहन एवं ठहरने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। सुश्री वृन्दा सरूप को अध्यक्ष, वेतन समिति के रूप में वेतन समिति की आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु नयी दिल्ली से लखनऊ आने एवं वापस नयी दिल्ली जाने हेतु प्रत्येक माह में दो बार की सीमा के अधीन उन्हीं मापक्रमों एवं दरों पर यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को अनुमन्य है।"

2- उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2017/वे0आ0-2-761/दस-01(एम)/2016, दिनांक 18 अगस्त, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

प0संख्या-16/2017/वे0आ0-2-810(1)/दस-01(एम)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) अध्यक्ष, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश।
- (3) सदस्य-सचिव, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश।
- (4) प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- (5) प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

---2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

:: 02 ::

- (6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3
- (7) नियुक्ति अनुभाग-1
- (8) इरला चेक अनुभाग।
- (9) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (10) वित्त (सेवार्ये) अनुभाग-1/4
- (11) लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अर्जुन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।